347

संख्याः /XXXVIII/16(यू–सैक भवन निर्माण)–56/2011

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र,
देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभागः देहरादूनः दिनॉकः 25मई, 2016

विषयः– उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक) के ग्राम डांडा लखौण्ड़ मे प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 102(1)/XXXVIII/16–56/2011 दिनांक 02.03.2016 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र(यू–सैक) के ग्राम डांडा लखौण्ड में प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम द्वारा तैयार आंगणन ₹ 426.07 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि ₹ 424.04 लाख एवं अधिप्राप्ति नियमावली से सम्बन्धित ₹ 70.41 लाख अर्थात कुल ₹ 494.45 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल ₹ 14.00 लाख की धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹ 480.45 लाख के विरूद्ध श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2016–17 के एक हिस्से हेतु प्रशासकीय भवन के निर्माण हेतु संलग्न आई0डी0 के अनुसार ₹ 16.67 लाख की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

1. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा तैयार कर पूर्व में प्रेषित विस्तृत आगणन ही मूल आगणन होगा एवं उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम द्वारा प्रेषित आगणन से मात्र धनराशि की गणना ही मान्य होगी।
2. सम्पूर्ण कार्यों का एक साथ अनुबन्ध कर अनुबन्ध की प्रति शासन को तत्काल प्रेषित की जायेगी। अनुबन्ध किये जाने में विलम्ब होने पर यदि लागत में वृद्धि होती है, तो सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे। आगणन का पुनरीक्षण किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत आगणन के सापेक्ष क्षेत्रफल में वृद्वि/मानचित्र में परिवर्तन एवं स्वीकृत लागत से अधिक पर अनुबन्ध अथवा व्यय किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति आवश्यक है। कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा। आगणनों के पुनरीक्षण का प्रयास नहीं किया जायेगा।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्यनजर रखते हुए एंवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई, उसी मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय। व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
7. निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XVI–219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2–

8. स्वीकृति विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
9. अगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्तीय संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा निमय) आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व uttrakhand procurement rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। 0
11. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
12. कार्य करने से पूर्व किसी तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
13. भवन निर्माण के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग/वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित समयानुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त कोषागार में जमा कराते हुए धनराशि आहरित की जायेगी।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण

2– इस सम्बन्ध में किया जाने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–23,आयोजनागत (मतदेय) लेखाशीर्षक 4859 – दूरसंचार तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय, 02– इलेक्ट्रोनिक, 800– अन्य व्यय, 11–उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द (यू–सैक)का भवन निर्माण, 00– 35– पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–ॲलाटमेन्ट आई0डी0 एवं मदवार आवंटित धनराशि।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 208(1)/XXXVIII/16–56/2011, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. अपर सचिव, वित्त–बजट।
5. नियोजन विभाग।
6. वित अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

क0सं0	मद का नाम	धनराशि (हजार रू0 में)
1.	2.	3.
क)	उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र भवन एवं परिसर निर्माण	1667.00
	कुल योग	**1667.00**